Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार पुलिस निरीक्षक के सरकारी क्वार्टर एवं जयपुर स्थित आवास की खानातलाशी तथा बैंक लॉकरों की तलाशी में नकदी, वाहन, चांदी एवं सोने के आभूषण मिले

जयपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा दिनांक 13.09.2026 को ट्रैप कार्रवाई करते हुए **राममिलन मीणा, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना सांभरलेक, जयपुर ग्रामीण** को 50,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

उक्त ट्रैप कार्रवाई के क्रम में दिनांक 13.09.2026 को ही आरोपी के सांभरलेक थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर की नियमानुसार खानातलाशी ली गई। खानातलाशी के दौरान **50,000/– रुपये नगद** तथा आरोपी के नाम पंजीकृत ग्राण्ड विटारा वाहन पाया गया।

इसी क्रम में आरोपी के निवास स्थल 63–ए, महादेव नगर, जगतपुरा, जयपुर की खानातलाशी **श्री देवेन्द्र प्रसाद, पुलिस निरीक्षक**, एसीबी जयपुर ग्रामीण द्वारा ली गई। खानातलाशी के दौरान उक्त महादेव नगर स्थित विला आरोपी के नाम होना पाया गया। साथ ही, आरोपी एवं उसके पिता के नाम से बैंक ऑफ इंडिया, एम.आई. रोड, जयपुर तथा एसबीआई, मण्डावरी, दौसा में संयुक्त लॉकर होना पाया गया।

उक्त दोनों बैंक लॉकरों की नियमानुसार तलाशी लिए जाने पर उनमें करीब **5.25 किलोग्राम चांदी**, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 12.50 लाख रुपये, तथा करीब **20 तोला** सोने के आभूषण, जिनकी अनुमानित कीमत **29 लाख रुपये** आंकी गई है, पाए गए।

खानातलाशी एवं बैंक लॉकरों की तलाशी के दौरान प्राप्त संपत्ति एवं दस्तावेजों के संबंध में प्राप्त खानातलाशी रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति के स्रोत, स्वामित्व एवं आय के ज्ञात स्रोतों से संबंध के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

उक्त कार्रवाई एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री ओमप्रकाश मीणा** एसीबी के सुपरविजन में तथा **श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, एसीबी जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर के नेतृत्व में **श्री मनोज कुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक**, एसीबी द्वारा ट्रैप कार्रवाई के क्रम में की गई। प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रिम अनुसंधान एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है।